भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4951
01 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत पहल

4951. श्री भर्तृहरि महताब :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में सरकार कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने देश के भीतर रक्षा उत्पादन को मजबूत करने और मित्र देशों को उनके निर्यात में मदद करने के लिए एक नई रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उक्त पहल से भारतीय नौसेना, वायु सेना और थल सेना की बहुत सी परियोनाओं पर असर पड़ने की संभावना है, जिनमें काफी विकसित अवस्था तक पहुंच चुकी भारतीय नौसेना की कामोव हेलीकॉप्टर अधिग्रहण परियोजना जैसी परियोजना भी शामिल है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश हित में इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (ड.): 'मेक इन इंडिया' के लिए भारत सरकार की नीति और स्वदेशीकरण और भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में दिए गए अधिदेश के अनुसरण में ऐसे प्रस्ताव जिनको विगत में पूंजीगत अधिग्रहण की खरीदो (वैश्विक) श्रेणी के अन्तर्गत आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई थी, की डीएपी-2020 के अनुसार समीक्षा की गई है और रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 46,695 करोड रु. मूल्य के ऐसे 09 प्रस्तावों के लिए आवश्यकता हेतु स्वीकृति को निरस्त करने/उसे समाप्त करने को

अनुमोदित किया है । सेना-वार प्लेटफार्मों के ब्यौरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में साझा नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने विगत कुछ वर्षों में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक नीतिगत पहलें प्रारंभ की हैं और देश में कामोव 31 जैसी परियोजनाओं के अभिकल्पन एवं विकास सहित रक्षा उपस्करों के अभिकल्पन, विकास तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए हैं । इन पहलों में अन्य बातों के साथ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के अन्तर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को वरीयता देना; उद्योग द्वारा अभिकल्पन एवं विकास के लिए 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा; सेना की कुल 209 मदों की दो 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 2851 मदों की एक 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' जिसमें उनके समक्ष दर्शाई समयसीमा के बाद आयात पर निषेध होगा की अधिसूचना; दीर्घकालिक वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को शामिल करते हुए रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवोन्मेष (आईडेक्स) योजना का शुभारंभ; सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुगम बनाने के लिए सृजन नामक स्वदेशीकरण पोर्टल का शुभारंभ; उच्च गुणकों के साथ रक्षा विनिर्माण के लिए विनिवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल देते हुए ऑफसेट नीति में सुधार करना और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु प्रत्येक में एक रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना करना सम्मिलित है।

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा 'रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति (डीपीईपीपी) 2020' का प्रारूप पब्लिक डोमेन में दिया गया था और यह रक्षा क्षेत्र में एरोस्पेस एवं नौसैनिक पोत निर्माण क्षेत्रों सहित आत्म निर्भरता और निर्यातों के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं के लिए अभिकेंद्रित, संरचनाबद्ध और महत्वपूर्ण बल देने हेतु रक्षा मंत्रालय का समग्र मार्गदर्शक दस्तावेज है।

*****